भाग चार : खण्ड दो

म. प्र. आदिम जातियों का हित संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम-2000

म.प्र. आदिम जातियाँ का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम 2000

अधिसूचना क्र. एफ, 23-4-99 पच्चीस - 5 दिनांक 14 जुलाई, 2000 - मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का सरंक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्रमांक 12 सन् 1999) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारमी -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) नियम, 2000 है।

(2) ये म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने वाली तिथि (21-7-2000) से लागू होंगे।

(3) ये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम", से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्र. 12 सन् 1999);

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ग) "भूमि स्वामी" का वही अर्थ होगा जो संहिता में उसे दिया गया है।

3. भूमिस्वामी अपने खाते पर खड़े वृक्षों को काटने के लिए प्रारूप - एक में सादे कागज पर एक आवेदन, ऋण पुस्तिका की प्रति के साथ, कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर, संहिता के उपबंधों के अनुसार आवेदन को रजिस्टर करेगा। भूमिस्वामी की ओर से कोई आवेदन, जो मुख्तारनामे या प्राधिकार की किसी अन्य पद्धति के रूप में हो, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

4. कलेक्टर इस प्रकार प्राप्त आवेदन को रजिस्टर करेगा तथा उसकी एक प्रति ऐसी समय सीमा को, जिसमें रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए, जो 25 दिन से अधिक नहीं होगी, उपदर्शिता करते हुए प्रारूप - दो में पत्र के साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भेजेगा :

(1) संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कलेक्टर का पत्र सहपत्रों के साथ तहसीलदार को अग्रेषित करेगा, जो भू-अभिलेख कर्मचारीवृन्द के साथ, यथा संभव शीर्घ, स्थल का निरीक्षण करेगा तथा प्रथमत: क्षेत्र का सीमांकन करेगा तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों को सत्यापित करेगा, वह उन वृक्ष/वृक्षों की गिनती भी करेगा जिन्हें काटा जाना प्रस्तावित है तथा आवक्ष उच्चता पर सत्यापित (जमीन से 135 सेमी.) उन वृक्षों की परिधि का प्रजातिवार माप अभिलिखित करेगा और प्रत्येक वृक्ष पर अनुक्रमांक डालेगा। रिपोर्ट के साथ सीमांकन तथा माप अभिलेख की प्रति संलग्न की जाएगी।

(2) तहसीलदार, वृक्ष/वृक्षों को काटने के आवेदन में विनिर्दिष्ट किये गये कारणों की विशेष रूप से जांच करेगा तथा जांच के दौरान उसकी जानकारी में आये किन्हीं महत्वपूर्ण तथा संबद्ध मामलों की रिपोर्ट करेगा। वह भूमिस्वामी द्वारा उसके वास्तविक, वैयक्तिक उपयोग हेतु ईंधन तथा काष्ठ की आवश्यकता की विशेष रूप से जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट में उसको अभिलिखित करेगा। भूमिस्वामी के यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि वास्तविक उपयोग हेतु अनुज्ञात किया गया काष्ठ एक क्यूबिक मीटर की सीमा के अध्यधीन होगा अथवा जिसके लिये कोई अभिवहन पास जारी नहीं किया जाएगा। यदि सामान्य वृक्षों को या किसी विशिष्ट वृक्ष को जनहित में, भू-क्षरण रोकने

या परिस्थितिकी (इकोलाजी) के लिए बनाये रखना अपेक्षित है तो वह अपना मत भी देगा। प्रारूप-तीन में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में वह तारीख/तारीखें जिसको/जिनकों उसके द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया था, तथा वृक्षों के सीमांकन तथा माप से संबंधित कर्मचारी वृन्द के नाम तथा पदनाम उपदर्शित होंगे। कर्मचारी वृन्द के ऐसे सदस्य, उनके द्वारा किये गये कार्य केबारे में प्रमाण-पत्र का अभिलेख रखेंगे तथा उस पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेंगे। स्थल निरीक्षण तथा स्थानीय जांच दो स्वतन्त्र साक्षियों तथा ग्राम के कोटवार की उपस्थिति में की जाएगी तथा उनके हस्ताक्षर भी पंचनामें पर अभिप्राप्त किये जायेंगे, जिसे रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार के प्रारूप-तीन में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, रिपोर्ट के सही होने के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा तथा विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे भूमि स्वामी का शोषण हो, वह कलेक्टर को अग्रेषित किये जाने वाले मामलों में से कम से कम 25 प्रतिशत मामलों में स्थलों को स्वयं निरीक्षण भी करेगा। वह विशिष्ट रूप से यह अभिनिश्चित करेगा कि सीमांकन पुनरीक्षित तथा अंतिम बंदोबस्त अभिलेखों पर आधारित है तथा उस दशा में जब पश्चात्वर्ती, पुराने अभिलेखों से सारभूत रूप से भिन्न है तो वह तथ्यों के सत्यापन हेतु आगे और आवश्यक जाँच स्वयं करेगा :

परन्तु आरक्षित या संरक्षित वनों या ग्राम वनों के लगे हुए खसरा क्रमांक के समस्त मामलों में अनुविभागीय अधिकारी के लिये यह आज्ञापक होगा कि वह स्थल निरीक्षण के पश्चात् स्थानीय जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि सरकारी या ग्राम वनों को सीमांकन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(4) यदि किसी मामलें में अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार के विचारों से भिन्नता रखता है तो वह उसके लिये कारणों को लेखबद्ध करेगा तथा वह तारीख स्पष्ट रूप से उपदर्शित करेगा, जिस तारीख को उसने स्थल का निरीक्षण किया था। तत्पश्चात् वह सम्पूर्ण रिपोर्ट कलेक्टर का अग्रेषित करेगा। वह अपना पूरा नाम, अपने हस्ताक्षर तारीख सहित रिपोर्ट पर अंकित करेगा।

5. कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे आवेदक के आवेदन, तहसीलदार द्वारा भेजे गये सीमांकन दस्तावेज तथा उसकी रिपोर्ट की एक प्रति के साथ इन नियमों से संलग्न प्रारूप - चार में पत्र के साथ संभागीय वन अधिकारी को, प्रश्नगत वृक्ष (वृक्षों) को काटे जाने के संबंध में उसकी राय हेतु अग्रेषित करेगा। कलेक्टर, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा उपदर्शित करेगा, जो 25 दिनों से अधिक नहीं होगी।

6. (1) संभागीय वन अधिकारी, कलेक्टर से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसे, संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज आफिसर) को, प्रारूप-चार में उल्लिखित उन समस्त बिन्दुओं को समाविष्ट करते हुए, जिसमें संभागीय वन अधिकारी द्वारा कलेक्टर को वापस रिपोर्ट की जानी है, जाँच तथा स्थल निरीक्षण के पश्चात् रिपोर्ट के लिये अग्रेषित करेगा।

(2) परिक्षेत्र अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी वृन्द के साथ स्थल का निरीक्षण करेगा तथा फील्ड पर आवेदक की उक्त भूमि के सीमांकन को सत्यापित करेगा और विभागीय दस्तावेजों एवं नक्शों के आधार पर यह अवधारित करेगा कि क्या प्रश्नगत भूमि आरक्षित या संरक्षित वनों का भाग है या नहीं। यदि भूमि आरक्षित या संरक्षित वनों में सम्मिलित है तो परिक्षेत्र अधिकारी इस आशय का अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और तद्नुसार एक रिपोर्ट, बिना आगे जांच किये, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (वन) के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(3) उस दशा में, जब स्थल की भूमि किन्हीं आरक्षित/संरक्षित वनों के भीतर नहीं आती है तो काटे जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक वृक्ष के लिये यह अभिनिश्चित करने हेतु आगे कार्यवाही करेगा -

(क) वन विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार यदि यह उचित हो कि उन वृक्षों को काटा जावे, जिनके लिये आवेदन किया गया है, समस्त ऐसे वृक्षों को संख्यांकित किया जाएगा।

(ख) ऐसे प्रत्येक वृक्ष की प्रजाति का नाम, परिधि तथा दशा और क्षेत्र की साइट क्वालिटी,

(ग) उपज की काल्पनित मात्रा उदाहरणार्थ ईंधन तथा काष्ठ अलग-अलग रूप से तथा उनका प्राक्कलित बाजार मूल्य।

वह विनिर्दिष्ट रूप से उन तारीखों को उल्लिखित करेगा जिस पर उसने स्थल का निरीक्षण किया, अधीनस्थ कर्मचारी वृन्द के नाम तथा उनके पूरे नाम के साथ तारीख सहित हस्ताक्षर किये जाएंगे। अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द भी अपने नाम के साथ तारीख सहित हस्ताक्षर करेंगे।

(4) परिक्षेत्र अधिकारी अपनी रिपोर्ट 10 दिन के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (वन) को प्रस्तुत करेगा, जो रिपोर्ट की सत्यता तथा वृक्ष (वृक्षों) के मूल्यांकन के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा। कम से कम 25 प्रतिशत मामलों में वह स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा तथा परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित तथ्यों को सत्यापित करेगा। यदि प्रश्नगत भूमि आरक्षित/संरक्षित वन खंड की सीमा से लगी हुई है तो अनुविभागीय अधिकारी (वन) के लिये यह आज्ञापक होगा कि वह स्थल का निरीक्षण करे। किसी मामले में वह परिक्षेत्र अधिकारी से किसी बिन्दु पर मतभेद रखता है तो वह उसे लिये कारण अभिलिखित करेगा तथा अपनी रिपोर्ट सात दिन के भीतर अपने पूर्ण नाम तथा तारीख सहित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करेगा।

(5) संभागीय वन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (वन) से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे मामलों में कम से कम 10 प्रतिशत मामलों में स्थल का स्वयं निरीक्षण करेगा। ऐसे मामलों में, जिनमें परिक्षेत्र अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (वन) की राय में भिन्नता है, तो सही स्थिति अभिनिश्चित करने के लिए संभागीय वन अधिकारी द्वारा सदैव स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात् वह प्रारूप-चार में रिपोर्ट तैयार करेगा तथा इस संबंध में कलेक्टर से प्राप्त प्रथम संसूचना की तारीख से 25 दिन की कालावधि के भीतर उसे कलेक्टर को निश्चित रूप से प्रस्तुत करेगा। वह अपने पूरे नाम के साथ तारीख साहित हस्ताक्षर करेगा।

7. (1) संभागीय वन अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की रिपोर्ट की सूक्ष्म रूप से जांच करने के पश्चात्, कलेक्टर यदि उसमें कोई मुख्य मतभेद पाता है जो ऐसे मामलों में यह संभागीय वन अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के साथ स्थल का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण करेगा और भिन्नता के बिन्दु पर अपनी स्वयं की राय बनायेगा।

(2) उस दशा में, जब कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) की कटाई की अनुज्ञा लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दी जा सकती है तो वह एक वर्ष में केवल ऐसी संख्या में विनिर्दिष्ट वृक्षों के लिये अनुज्ञा देगा जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन विहित मूल्य के भीतर है।

(3) यदि विनिर्दिष्ट वृक्षों को काटना लोकहित में या वन विज्ञान के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से समीचीन नहीं हैं तो कलेक्टर विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा देने से इन्कार करेगा।

(4) कलेक्टर द्वारा परित प्रत्येक आदेश स्पष्ट होगा तथा उसके लिये कारण अंतर्विष्ट होंगे। आदेश में काष्ठ की मात्रा (एक क्यूबिक मीटर सीमा के अध्यधीन) तथा जलाऊ लकड़ी भी विनिर्दिष्ट की जाएगी जो भूमिस्वामी के वास्तविक वैयक्तिक उपभोग हेतु अनुज्ञेय है।

(5) कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मामले में अंतिम आदेश, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर पारित किये गये हैं।

8. कलेक्टर, आदेश पत्र के साथ अनुज्ञा की एक प्रति संभागीय वन अधिकारी को पृष्ठांकित करते हुए उसे, विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) को काटने तथा उसकी उपज का परिवहन निकटतम डिपो तक करने का कार्य दो माह की कालावधि के भीतर पूर्ण करने के लिए कहेगा। इस प्रयोजन के लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच की कालावधि की गणना नहीं की जाएगी।

9. (1) कलेक्टर से संसूचना प्राप्त होने पर, संभागीय वन अधिकारी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी (वन) तथा परिक्षेत्र अधिकारी को नाम से, वृक्षों की कटाई तथा परिवहन का कार्य विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर पूर्ण करने के लिये निर्देश देगा।

(2) परिक्षेत्र अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि भूमिस्वामी को अग्रिम में सूचित किया गया है तथा वृक्षों की कटाई के समय वह उपस्थित रहेगा और उसका अभिलेख रखेगा, वृक्ष (वृक्षों) की कटाई से प्राप्त काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी का स्टाक तैयार किया जाएगा तथा प्रारूप-छः में उसकी एक सूची तीन प्रतियों में तैयार की जाएगी जिस पर परिक्षेत्र अधिकारी तथा संबंधित भूमिस्वामी के हस्ताक्षर होंगे। उसकी एक प्रति भूमिस्वामी को स्थल पर ही दी जायेगी तथा दो साक्षियों के हस्ताक्षरों के साथ उसकी तारीख सहित अभिस्वीकृति भी अभिप्राप्त की जाएगी।

(3) यदि भूमिस्वामी ऐसी अपेक्षा करे तो कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की गई जलाऊ लकड़ी की मात्रा तथा काष्ठ का ऐसा भाग, बल्लियों को सम्मिलित करते हुए जो उसकी वास्तविक वैयाक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, स्थल पर ही उसे सौंप दिया जायेगा, और उसकी अभिस्वीकृति अभिप्राप्त कर सूची के साथ संलग्न की जाएगी, किन्तु शर्त यह होगी कि ऐसे काष्ठ की मात्रा, बल्लियों की सम्मिलित करते हुए, एक क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी काष्ठ के बारे में, कोई अभिवहन पास जारी नहीं किया जाएगा। इस अभिस्वीकृति की एक प्रति उसे भी दी जाएगी तथा शेष उपज का परिवहन, परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा निकटतम विक्रय डिपो तक किया जाएगा और संभागीय वन अधिकारी को तद्नुसार लिखित में सूचित किया जाएगा। उप नियम (2) के अधीन तैयार की गई सूचि संभागीय वन अधिकारी को भी अग्रेषित की जावेगी।

10. काटने, थप्पी लगाने तथा परिवहन का खर्च संगणित किया जाएगा और प्रारम्भिक रूप से वन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। उस दशा में जब भूमिस्वामी की सेवाएं, किसी प्रक्रिया में ली गई हैं तो उसे प्रचलित दरों पर तुरन्त भुगतान किया जाएगा एवं उसकी अभिस्वीकृति अभिप्राप्त की जाएगी।

11. संभागीय वन अधिकारी, विक्रय डिपो में प्राप्त उपज के बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा। यह प्राक्कलन, वन विभाग द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। संपूर्ण उपज के कुल बाजार मूल्य से वास्तविक संचय तथा परिवहन में होने वाले खर्च को घटाने के पश्चात् अतिशेष रकम प्रत्येक मामले में विक्रय डिपो में उपज के परिदान के बारे में रिपोर्ट की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर, चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित की जावेगी। उपज के शुद्ध मूल्य से संबंधित मूल्यांकन शीट की एक प्रति भूमिस्वामी को दी जाएगी ताकि वह अपने वृक्ष/वृक्षों के मूल्य के बारे में जान सके, उसके लिये भूमिस्वामी से अभिस्वीकृति रसीद प्राप्त की जाएगी।

12. (1) कलेक्टर यह रकम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की शाखा में स्वयं तथा भूमि स्वामी के संयुक्त नाम के खाते में जमा करावेगा। कलेक्टर ऐसी रकम को जो अभिव्यक्त प्रयोजन, यदि कोई हो, जिसके लिए वृक्षों को काटने की अनुज्ञा चाही गई थी, की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाए को बैंक से निकालने का प्राधिकार जारी करेगा। परन्तु जारी करेगा। तत्पश्चात् भूमिस्वामी अधिकतम रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) प्रतिमास, इस रकम से आहरित करने के लिए प्राधिकृत होगा, जिसके लिए कलेक्टर की ओर से प्राधिकार बैंक की संबंधित शाखा को भेजा जाएगा।

(2) यदि किसी विशिष्ट आकस्मिकता की पूर्ति के लिए भूमिस्वामी, एक ही समय में, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक रकम आहरित करना चाहता है तो वह कलेक्टर को, आकस्मिकता के ब्यौरों को स्पष्ट करते हुए लिखित में आवेदन करेगा। कलेक्टर, आवश्यकता के बारे में आवश्यक जांच शीघ्र करवायेगा और आवश्यकता की असलियत के बारे में समाधान होने पर, ऐसी बड़ी रकम, जो उसके द्वारा उपयुक्त समझी जाए, आहरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। आवेदक की आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय, कलेक्टर यह भी देखेगा कि आवेदक की ऐसी आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को उपलब्ध किन्हीं हिताधिकारी मूलक कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अन्यथा की जा सकती है और यदि ऐसा है तो तद्नुसार उसकी मदद की जाएगी तथा अधिक प्रत्याहरण के लिए उसका आवेदन नामंजूर/संशोधित किया जाएगा।

13. चूँकि अधिनियम तथा इन नियमों का उद्देश्य भूमिस्वामी के हितों की रक्षा करना है, इसके साथ ही मालिक मकबूजा के अधीन अवैध कटाई को रोकना है, अतः कलेक्टर का यह कर्त्तव्य होगा कि अधिनियम तथा नियमों के अधीन यथाविहित सभी संभव उपाय करे और इस प्रयोजन के लिए वह ऐसे समस्त कर्मचारी वृन्द तथा संसाधनों का उपयोग करेगा, जो उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो।

14. निरसन तथा व्यावृत्ति - इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतदद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

प्रारूप-एक

(नियम 3 देखिए)

प्रति,

कलेक्टर

.....

विषय - भूमि स्वामी की भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने की अनुज्ञा हेतु आवेदन

महोदय,

मैं अपनी भूमि पर खड़े वृक्षों को काटना चाहता हूँ, कृपया मुझे वृक्षों को काटने की अनुज्ञा दें। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1. आवेदक का नाम तथा पूर्ण पता .....
2. काटे जाने के लिए प्रस्तावित वृक्षों की प्रजाति संख्या .....
3. वृक्षों की कटाई के कारण .....

ऋण पुस्तिका की प्रति संलग्न है।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप-दो

(नियम 3 देखिए)

कार्यालय, कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर

जिला .....

क्रमांक ..... तारीख .....

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

विषय - भूमि स्वामी को भूमि पर खड़े विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा।

संदर्भ - इस न्यायालय का राजस्व प्रकरण क्रमांक ..... तहसील ..... जिला .....

संदर्भाधीन यथा उल्लिखित राजस्व प्रकरण इस न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया है। आवेदन की एक प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदन की जाँच अभिकारित रखने वाले तहसीलदार के मार्फत करवाई जाये। अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवेदन में विशिष्ट तथा विनिर्दिष्ट रूप से तथ्यों का सत्यापन, निम्नलिखित बिन्दुओं पर राय तथा सिफारिश होगी :

(एक) आवेदक की जनजाति, प्रश्नगत भूमि का हक तथा कब्जे के बारे में सत्यापन, अभिलेख की अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए।

(दो) भूमि का सीमांकन, भूमि पर खड़े वृक्ष (वृक्षों) की सूची तथा काटे जाने हेतु प्रस्तावित वृक्ष (वृक्षों) की परीधि, ऊँचाई एवं दशा।

(तीन) क्या आवेदक का खाता, आरक्षित वन, संरक्षित वन या राजस्व वन (बड़े/छोटे झाड़ का जंगल) से लगा हुआ है या उसके समीप स्थित है।

(चार) क्या वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा, किसी भी तरह जनहित, परिस्थितिकी (इकोलॉजी), जल मार्ग को प्रतिकूलत: प्रभावित करेगा अथवा भू-क्षरण को बढ़ाएगी।

2. आवेदक ने आवेदन में दर्शाये कारणों के लिए वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा के लिए आवेदन किया है। आपसे यह अपेक्षा है कि आप आवेदक द्वारा दर्शाए गये कारणों की सत्यता का या अन्यथा अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच करें और यह भी पता लगाएं तथा सुझाव दें कि क्या आवेदक की आवश्यकता की

पूर्ति सरकार की किसी हितग्राही मूलक कल्याणकारी स्कीम के द्वारा हो सकती है। भूमि स्वामी के व्यक्तिगत उपभोग हेतु लकड़ी की उसकी वास्तविक आवश्कता को भी अनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. जांच के दौरान पूरी सतर्कता तथा सावधानी का प्रयोग किया जाए तथा प्रतिवेदन में सिफारिशें देते समय मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

4. समस्त संबंधितों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 के दाण्डिक उपबन्धों से अवगत हों।

5. अन्य कोई संबद्ध या महत्वपूर्ण जानकारी, विवरण या बिन्दु को भी विशेष रूप से प्रतिवेदित किया जाए जो कि तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी की राय में आवेदक के हितों के संरक्षण से सुसंगत हो या उसको शोषण से बजाए या सरकार की संपत्ति या हित को बचा सके।

6. कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के पास तारीख ..... तक पहुंच जाना चाहिए।

तारीख ..... मास ..... वर्ष ..... को मेरी मुद्रा तथा हस्ताक्षर से जारी किया गया।

तारीख .....
स्थान .....

न्यायालय की मुद्रा

हस्ताक्षर .....
पीठासीन अधिकारी का पूरा नाम .....
पदनाम .....

प्रारूप-तीन

(नियम 3 देखिए)

न्यायालय, तहसीलदार .....

तहसील ..... जिला .....

क्रमांक ..... तारीख .....

प्रति,

कलेक्टर/अपर कलेक्टर,

द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .....

विषय - कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक ..... की जांच रिपोर्ट, आवेदक ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी-ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....

संदर्भ - कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक ..... तारीख .....

संदर्भ के अधीन, आदेश के अनुपालन में राजस्व प्रकरण इस न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया था तथा मैंने अपनी स्थानीय अधिकारिता के अधीन ग्राम ..... पटवारी हल्का क्रमांक ..... राजस्व निरीक्षक वृत्त ..... के साथ में स्थानीय जांच की तथा स्थल निरीक्षण तारीख ..... को किया।

2. जांच के समय निम्नलिखित व्यक्ति सहायता तथा साक्षी के रूप में उपस्थित थे :

(क) आवेदक तथा उसके नातेदार/साथी यदि कोई हो, का नाम .....

(ख) दो स्वतंत्र साक्षियों का नाम तथा पता 1. .....

2. .....

(ग) फील्ड कर्मचारी वृन्द का पूरा नाम, पदनाम तथा धारित प्रभार .....

3. मैंने निम्नलिखित से संबंधित तथ्यों को अभिनिश्चित करने हेतु आवेदक, पटवारी, कोटवार तथा अन्य स्थानीय साक्षियों के शपथ पर कथन अभिलिखित किए हैं :

(एक) भूमि का हक तथा कब्जा

(दो) आवेदित वृक्ष, भूमि स्वामी के खाते पर वास्तविक रूप से खड़े हैं तथा इस प्रयोजन के लिए फील्ड पर सीमांकन किया था और नवीनतम बंदोबस्त अभिलेख निर्दिष्ट किए गए हैं। सावधानीपूर्वक तथा निष्पक्ष जांच के पश्चात् मेरी सिफारिश/प्रतिवेदन निम्नानुसार है :

.....

खसरे की प्रति, किश्तबंदी बी-1 नक्शा तथा सीमांकन रिपोर्ट, काटे जाने वाले वृक्षों की सूची, अभिलिखित कथन तथा खाते का राजस्व अभिलेख रखने वाले पदधारियों का प्रमाण पत्र संलग्न है। स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर के साथ पंचनामा भी संलग्न है।

4. मैंने वृक्षों को काटने के संबंध में दिए गए कारणों तथा भूमिस्वामी के वास्तविक व्यक्तिगत उपभोग हेतु काष्ठ, जिसमें बल्ली भी सम्मिलित है, एवं जलाऊ लकड़ी की वास्तविक आवश्यकता के बारे में सावधानीपूर्वक जांच की है। मेरी निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :

.....

5. आवश्यक तथा सावधानीपूर्वक जांच के पश्चात् में अभिपुष्टि करता हूँ कि वृक्ष को काटने हेतु आवेदन देने में कोई ठेकेदार/काष्ठ व्यापारी या कोई बिचौलिया अन्तर्वलित नहीं है। मेरा समाधान हो गया है कि इस प्रकरण में आवेदक का किसी प्रकार से शोषण नहीं हुआ है।

6. मैं इसकी भी अभिपुष्टि करता हूँ कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी या अभिलेख को छिपाया नहीं गया हैं, उसक दुर्व्यपदेशन नहीं किया गया है या गलत अर्थान्वयन नहीं किया गया है।

7. प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है, जैसा कि अपेक्षित है :

1.....4.....7.....

2.....5.....8.....

3.....6.....9.....

8. अन्य कोई बिन्दु या की गई टीका टिप्पणी :

.....

.....

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तारीख ..... हस्ताक्षर .....

स्थान ..... न्यायालय की मुद्रा पूरा नाम .....

प्रारूप-चार

(वन विभाग के प्रतिवेदन हेतु अध्यपेक्षा)

न्यायालय, कलेक्टर/अपर कलेक्टर ..... जिला ..... मध्यप्रदेश

क्रमांक ..... तारीख .....

प्रति,

संभागीय वन अधिकारी,

..... संभाग,

जिला ..... म.प्र.

विषय - अनुसूचित जनजातियों के भूमिस्वामी के खाते पर विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा के प्रकरण में प्रतिवेदन के लिए अध्यपेक्षा।

संदर्भ - इस न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत राजस्व प्रकरण क्रमांक ..... क-62/क-63 ..... चूँकि आवेदक ..... पिता का नाम ..... निवासी..... पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील ..... ने अपने खाते पर वृक्ष (वृक्षों) की कटाई हेतु इस न्यायालय में निम्नानुसार आवेदन किया है :

(एक) वृक्ष (वृक्षों) की संख्या, जिनको प्रजातिवार काटे जाने हेतु आवेदन किया गया .....

(दो) खाते का विवरण -

(क) खसरा क्रमांक .....

(ख) क्षेत्र .....

(ग) ग्राम .....

(घ) पटवारी हल्का क्रमांक .....

(ङ) राजस्व निरीक्षक वृत्त (सर्कल) .....

(च) तहसील .....

(छ) खाते पर खड़े वृक्षों की कुल संख्या .....

2. संदर्भ के अधीन राजस्व प्रकरण इस न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया है तथा उस पर तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्रतिवेदन भी अभिप्राप्त किया गया। इसके साथ आवेदन की प्रति तथा तहसीलदार का प्रतिवेदन सहपत्रों के साथ तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की टिप्पणियाँ संलग्न की है।

3. चूँकि प्रकरण के अंतिम निपटारे हेतु आपकी राय तथा प्रतिवेदन की आवश्यकता है अतः आपसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 तथा मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार और वन विज्ञान के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जो प्रकरण में लागू हों, निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन देने की एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है।

(एक) विशिष्ट रूप से तथा विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिनिश्चित किया जाए कि भूमि, जो आवेदक के खाते के रूप में कथित है, शासकीय संरक्षित या आरक्षित वनों की नहीं है। इस बिन्दु पर कोई भी शंका स्पष्ट रूप से तथा निष्पक्ष रूप से प्रतिवेदित की जाए। इस बिन्दु पर कोई शंका होने के कारण लेखबद्ध करते हुए प्रकरण बिना आगे जांच के वापस लौटाया जाये।

(दो) क्या भू-क्षरण, परिस्थितिकी (इकोलॉजी) अथवा अन्य कारणों, जिन्हें विनिर्दिष्ट किया जाये, को ध्यान में रखते हुए आवेदित वृक्षों की कटाई की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं ?

(तीन) क्या वृक्षों की आयु, परिपक्कता तथा दशा कटाई की अनुमति देने के लिए उपयुक्त है ?

(चार) क्या वृक्षों की कटाई की प्रस्तावित अनुमति, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के किन्हीं उपबंधों को किसी प्रकार प्रभावित करेगी या उनका उल्लंघन करेगी।

(क) प्रजाति।

(ख) वृक्षों की परिधि।

(ग) वृक्षों की दशा।

(घ) साइट क्वालिटी।

(छः) उपज की अनुमानित मात्रा (काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी की अलग-अलग दर्शाइ जावे।)

(सात) कटाई खर्च घटाकर डिपो में मूल्यांकन के आधार पर वृक्ष (वृक्षों) का अनुमानित मूल्य।

(आठ) कोई अन्य संबद्ध या महत्वपूर्ण जानकारी, विवरण या बिन्दु, जो कि डी. एफ. ओ. की राय में आवेदक के हित के संरक्षण से सुसंगत हो या उसे शोषण से बचाए अथवा जिससे सरकार की संपत्ति या हित का संरक्षण हो सके।

4. मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन यह अध्यापक है कि इस अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से 25 दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रतिवेदन में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारी वृन्द, जिन्होंने स्थल का निरीक्षण किया हो, तथ्यों का सत्यापन किया हो तथा प्रकरण में जांच की हो, का पूरा नाम, पदनाम

एवं उनके द्वारा धारित प्रभार का स्पष्ट रूप से विवरण दें। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के पास दिनांक ..... तक प्राप्त हो जाये।

6. सभी संबंधितों के ध्यान में यह लाया जाए कि गलत या त्रुटिपूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट करने में लोप या कारणत्रुटि, जानकारी छिपाना या विहित समयावधि में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना, अधिनियम की धारा 9(3) के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध है और संबंधित व्यक्ति को अनुशासनिक नियमों, जो कि उसे लागू हों, के अधीन कार्रवाई के लिए भी दायी बनाएगा।

मेरी मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... को जारी किया गया।

तारीख .....
स्थान .....

न्यायालय की मुद्रा

हस्ताक्षर.....
पीठासीन अधिकारी का पूर्ण नाम.....
पदनाम.....
मुद्रा .....

प्रारूप-पांच

(संभागीय वन अधिकारी के प्रतिवेदन के लिए प्रारूप)

कार्यालय, संभागीय वन अधिकारी ..... संभाग .....
मुख्यालय ..... जिला .....

क्रमांक..... तारीख .....

प्रति,

कलेक्टर/अपर कलेक्टर,
जिला .....

विषय - अनुसूचित जनजातियों के भूमिस्वामी के खाते में विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा के प्रकरण में प्रतिवेदन।

संदर्भ - राजस्व प्रकरण क्रमांक ..... में अध्यपेक्षा क्रमांक .....
तारीख ..... आवेदक .....
पिता का नाम ..... ग्राम .....
पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील .....
जिला .....

अत: आपके न्ययालय में संदर्भाधीन राजस्व प्रकरण में प्रतिवेदन के लिए निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ अध्यपेक्षा इस कार्यालय में तारीख ..... को प्राप्त हुई :

1. आवेदक का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. आवेदक की जनजाति .....
4. ग्राम, पटवारी हल्का क्रमांक तथा तहसील .....
5. खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल .....
6. वृक्ष, जिनकी कटाई के लिए आवेदन किया गया है .....

2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 और उनके अधीन नियमों के उपबंधों और प्रकरण से संबंधित अन्य विधियों, नियमों तथा शासन के सामान्य कार्यकारी अनुदेशों के अनुरूप मेरे द्वारा आवश्यक जांच कराई गई है। वांछित बिन्दुओं पर मेरा प्रतिवेदन निम्नानुसार है :

(एक) विशिष्टया तथा विनिर्दिष्ट रूप से अभिनिश्चित करना कि भूमि जो आवेदक के खाते के रूप में कथित है सरकार के संरक्षित/आरक्षित वनों की नहीं हैं। (इस बिन्दु पर कोई भी शंका की दशा में

उसके लिए कारण स्पष्ट रूप से तथा निष्पक्ष रूप से लेखबद्ध किए जाएं और प्रकरण बिना आगे जांच के वापस लौटाया जाए।)

(दो) क्या आवेदन का प्रश्नगत खाता आरक्षित या संरक्षित वनों या अन्य किसी वन की सीमा से लगा हुआ है या उसके इतने निकट है कि वृक्ष (वृक्षों) की कटाई की अनुज्ञा से लगे हुए या समीपस्थ वन को नुकसान होने की सम्भावना है।

(तीन) भू-क्षरण, पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) या ऐसी अन्य बातें, जिनको विनिर्दिष्ट किया जाए, को ध्यान में रखते हुए क्या आवेदित वृक्षों को काटे जाने की अनुज्ञा दी जाए अथवा नहीं।

(चार) क्या वृक्ष (वृक्षों) की उम्र, परिपक्वता तथा दशा वृक्षों को काटने की अनुज्ञा दिए जाने के लिए उपयुक्त है।

(पांच) क्या वृक्ष (वृक्षों) को काटने की प्रस्तावित अनुज्ञा से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के किन्हीं उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन तो नहीं होता ?

(छः) ऐसे वृक्ष (वृक्षों) का वृक्षावार विवरण, जिनको काटे जाने की सिफारिश की गई हैं।

वृक्ष (वृक्षों) का अनुक्रमांक	प्रजाति	वृक्ष (वृक्षों) की परिधि	वृक्ष (वृक्षों) की दशा	क्षेत्र की साइट क्वालिटी	वृक्ष (वृक्षों) की अनुमानित ऊंचाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(सात) कटाई से प्राप्त होने वाली उपज, काष्ठ तथा जलाऊ लकड़ी की अलग-अलग अनुमानित मात्रा।

(आठ) कटाई का खर्च घटाने के पश्चात् डिपो पर चालू मूल्यांकन के आधार पर उपज का अनुमानित मूल्य।

(नौ) कोई अन्य संबद्ध या महत्वपूर्ण जानकारी, विवरण या बिन्दु, जो कि संभागीय वन अधिकारी की राय में आवेदक के हितों के संरक्षण से सुसंगत हों या आवेदक को शोषण से बचाए अथवा जिससे सरकार की संपत्ति या हित संरक्षण हो सके।

3. मैंन स्वयं का समाधार कर लिया है कि प्रतिवेदन तथ्यात्मक रूप से सही तथा पूर्ण है तथा कोई सारवान या सुसंगत तथ्य न तो छिपाया गया है और न हो उसक (दुर्व्यपदेशन या अशुद्ध) अर्थान्वयन किया गया है। मेरी निश्छल एवं निष्पक्ष राय में कटाई के लिए आवेदित वृक्षों की कटाई की निम्न कारणों से अनुमति दी जानी चाहिए/नहीं दी जानी चाहिए।

4. आवेदन की प्रति तथा तहसीलदार का प्रतिवेदन सहपत्रों के साथ जैसा अध्यपेक्षा के साथ प्राप्त हुआ था, लौटाये जा रहे हैं। परिक्षेत्र अधिकारी, उप संभागीय अधिकारी (वन) के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है। कटाई के लिए प्रस्तावित वृक्ष/वृक्षों का गणना पत्रक तथा मूल्यांकन पत्रक भी संलग्न है। प्रकरण में जिन अधिकारियों/पदधारियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया या स्थल का निरीक्षण किया गया, उनके नाम, पदनाम तथा उनके द्वारा धारित प्रभार का विवरण संलग्न है। उन्होंने जांच के सुसंगत दस्तावेजों पर तारीख के साथ अपने हस्ताक्षर, पूर्ण नाम सहित अंकित किये हैं।

मैंने पूर्ण ध्यान एवं सावधानी रखी है कि प्रतिवेदन पूर्ण, सही एवं सत्य है तथा सरकार और आवेदक के हित संरक्षित हैं।

तारीख ..... मास ..... वर्ष ..... को मेरे हस्ताक्षर तथा मेरे कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तारीख ..... हस्ताक्षर .....

स्थान ..... पूर्ण नाम .....

पदनाम .....

कार्यालय की मुद्रा .....

प्रारूप-छह

विनिर्दिष्ट वृक्षों की कटाई से प्राप्त उपज की सूची

भूमि स्वामी का नाम ..... ग्राम का नाम ..... पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील ..... जिला .....

खसरा क्रमांक	क्षेत्र	विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) की कटाई से प्राप्त उपज का विवरण								अनुमानित मूल्य
		प्रजाति	काटे गये वृक्ष (वृक्षों) का अनुक्र.	लट्ठा (लाग) क्रमांक	काष्ठ		जलाऊ लकड़ी			
					नाप		मात्रा	चट्टों की संख्या	अनुमानित मात्रा	
					परिधि	लम्बाई				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

टिप्पणियां .....

परिक्षेत्र अधिकारी .....

भमिस्वामी

हस्ताक्षर तथा

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम .....

तारीख .....

नाम .....

उप वनक्षेत्रपाल वनपाल.....

साक्षी :

हस्ताक्षर तथा

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम तारीख .....

नाम .....

1. ..... वनरक्षक .....

2. ..... तारीख .....

नाम .....

(म.प्र. राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 21-7-2000 पृष्ठ 215-224 पर प्रकाशित)